कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान

जयपुर

क्रमांक : फा.15(1)(8)सविरा / नियम / उपनियम / 2004 दिनांक : 30.8.2017

अतिरिक्त पंजीयक,
सहकारी समितियां,
(समस्त)।

विषय : जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के उपनियमों में संशोधन बाबत्।

राज्य की समस्त जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के उपनियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:-

अतः आप राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अंतर्गत अपने क्षेत्र की जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के उपनियमों में निम्नानुसार संशोधन की कार्यवाही करवाकर इस कार्यालय को अवगत करावे:-

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
8(1)(1)	**"अ" श्रेणी के हिस्से-- प्रत्येक "अ" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 500 रुपया होगा, जो भण्डार के "अ" श्रेणी के सदस्यों को दिये जावेंगे। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को 500 रुपये मूल्य का कम से कम एक हिस्सा खरीदना अनिवार्य होगा। प्राथमिक कृषि ऋणदायी सहकारी समितियों तथा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार को तथा अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों एवं महिला सहकारी समितियों को कम से कम दस हिस्से खरीदने अनिवार्य होंगे।**	**"अ" श्रेणी के हिस्से-- प्रत्येक "अ" श्रेणी के हिस्से का मूल्य 100 रुपया होगा, जो भण्डार के "अ" श्रेणी के सदस्यों को दिये जावेंगे। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को 100 रुपये मूल्य का कम से कम एक हिस्सा खरीदना अनिवार्य होगा। प्राथमिक कृषि ऋणदायी सहकारी समितियों तथा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार को तथा अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों एवं महिला सहकारी समितियों को कम से कम पचास हिस्से खरीदने अनिवार्य होंगे।**

(राम निवास)
रजिस्ट्रार

304

क्रमांक : फा.15(1)(8)सविरा / नियम / उपनियम / 2004 दिनांक : 30.8.2017

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक (उपभोक्ता), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर।
6. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, (समस्त)।
7. वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
8. गार्ड पत्रावली।

संयुक्त पंजीयक (नियम)